दिनांक 15.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 19/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 684 कि0ग्रा0 गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.71 करोड़) बरामद।

दिनॉकः 15–10–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बिहार पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही के दौरान अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 684 किलोग्राम गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.71 करोड़) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– विकास यादव पुत्र धीरेन्द्र यादव निवासी ग्राम महराजगंज, पोस्ट रामगढ़ जनपद चन्दौली।

2– संजीव तिवारी पुत्र स्व0 रामधारी तिवारी निवासी ग्राम सुभाष नगर डेहरी थाना डेहरी जनपद रोहतास बिहार।

3– धीरज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 गोरखनाथ प्रसाद निवासी न्यू एरिया डेहरी आनसोन थाना डेहरी जनपद रोहतास बिहार।

बरामदगीः

1– 684 कि0ग्रा0 अवैध गांजा। (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.71 करोड़)

2– 01 अदद ट्रक नं0 जेएच 02 एएच 7702

3– 01 अदद क्रेटा कार नं0 जेएच 01 एफएस 1951

4– 06 अदद मोबाइल फोन।

5– 02 अदद डीएल।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–

दिनॉक 15–10–2025 वन विभाग के सामने जीटी रोड उत्तरी लेन थाना बाराचट्टी जनपद गया।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को उडीसा, आन्ध्र प्रदेष आदि राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी भी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम जनपद चन्दौली में भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कुछ लोग ट्रक नं0 जेएच 02 एएच 7702 में सम्भलपुर बौध (उड़ीसा) राज्य से अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) की बड़ी खेप लेकर डेहरी आनसोन जाने वाले है। इस सूचना पर एसटीएफ उत्तर प्रदेष की टीम द्वारा बिहार एसटीएफ से साझा करते हुए क्षेत्राधिकारी बाराचट्टी, जनपद गया बिहार एवं बिहार एसटीएफ को साथ लेकर संयुक्त रूप से कार्यवाही में वन विभाग के सामने जीटी रोड उत्तरी लेन थाना क्षेत्र बाराचट्टी, गया बिहार से 03 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त धीरज ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक संगठित गिरोह है, जो बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करता है। इस गिरेाह का सरगना यह स्वयं है एवं इसका पार्टनर संजीव है। यह गॉजा उडीसा के सम्भलपुर बौध से सरोज एवं अषोक द्वारा नमक की बोरिया के बीच में लोड कराया गया था। जिसे बिहार राज्य में डेहरी आनसोन जनपद रोहतास के गॉजा तस्कर बलराम पाण्डेय को सप्लाई देना था। बलराम पाण्डेय द्वारा बिहार राज्य के अलावा उ0प्र0 के सीमावर्ती जनपदों (चन्दौली, वाराणसी, गाजीपुर आदि) में टुकड़ो में इस गॉजा की सप्लाई की जाती है। धीरज एवं संजीव ट्रक के आगे अपनी क्रेटा कार से पायलटिंग करते है जिससे की किसी स्थान पर पुलिस द्वारा चेकिंग होती रहती है तो पहले से ही सतर्क हो जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बाराचट्टी, जनपद–गया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>एस0टी0एफ0–अर्द्वसैनिक बलों में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 02 सक्रिय सदस्य फर्जी दस्तावेजों सहित गिरफ्तार।</u>

दिनाकः 15–10–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अर्द्धसैनिक बलों में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्तों को फर्जी दस्तावेजों, मुहर सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u>:–

1– प्रदीप कुमार पुत्र लायक सिंह, निवासी नगला चन्दा, थाना नसीरपुर, जनपद फिरोजबाद।

2– चन्द्रवीर उर्फ छोटे पुत्र बृहमदेव, निवासी नगला गुढ़ा, थाना नसीरपुर, जनपद फिरोजाबाद।

<u>बरामदगी</u> :–

1– 47 अदद प्रपत्र (अंक पत्र ज्वाइनिंग लेटर व अन्य प्रपत्र)

2– 02 अदद मोबाइल फोन

3– 02 अदद कूटरचित मुहर

4– 02 अदद ब्लैक चैक

5– रूपये 1030/–रूपये नकद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय –</u>गढ़ी चौराहा थाना क्षेत्र नसीरपुर, जनपद फिरोजाबाद दिनांक–15–10–2025 समय करीब–00.30 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अर्द्धसैनिक बलों में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग की सूचना प्राप्त हो रही थी इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाइयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेष, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन को विकसित कर कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त क्रम में दिनांक 14/15–10–2025 को एस0टी0एफ0 आगरा की टीम फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर क्षेत्र में जॉच प्रार्थना पत्र व आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर बीएसएफ, एसएससी जीडी अर्द्वसैनिक बल में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के सक्रिय सदस्य जो नसीरपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी चौराहा पर मौजूद है। उक्त सूचना पर निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा, मु0आ0 अरविन्द सिंह, मु0आ0 प्रशांत कुमार, मु0आ0 विवेक कुमार, मु0आ0 अंकित गुप्ता मु0आ0 अमित सिंह, आरक्षी चालक रामदीन एसटीएफ फील्ड इकाई आगरा की टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँच कर ठगी करने वाले गैंग के 02 सक्रिय सदस्यों को आवश्यक घेराबन्दी कर गिरफ्तार कऱ लिया गया, जिनके पास उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्तों ने पूछतॉछ पर बताया कि यह लोग आस–पास के ग्रामीण युवकों को सशस्त्र बलों में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करते है। सशस्त्र बलो में भर्ती हुए युवको का ऑनलाइन भर्ती परिणाम पता कर लेते है एवं उनका ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर लेते है। जिसके बाद जिन युवको से भर्ती कराने के नाम पर पैसा लिए रहते है, उनका स्थानीय कम्प्यूटर सेण्टरों से फर्जी दस्तावेज तैयार करके पूर्व से डाउनलोड ज्वाइनिंग लेटर को एडिट कर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तैयार करके उन युवको को दे दिया जाता है, जिनसे पैसा लिए रहते है। जब युवको द्वारा फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भर्ती सेन्टर जाया जाता है तब वहॉ उनको पता चलता है कि यह ज्वाइनिंग लेटर फर्जी है। चूँकि युवको पास फर्जी दस्तावेज होते है इस लिए उनके द्वारा पुलिस में शिकायत नही की जाती है। इस काम में इनका सहयोग बृजभूषण सिंह (पूर्व फौजी), सोनू व दशरथ सिंह करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद में मु0अ0सं0 0192/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी। वॉछित अभियुक्तों की गिर0 के प्रयास किये जा रहे है।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना इन्दिरापुरम

• पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 मोटर साइकिल

• 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉक:14.10.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–1 बसुन्धरा टी पाइंट पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अफजल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट गाजियाबाद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अफजल निवासी लक्ष्मी गार्डन, इन्दिरापुरी थाना लोनी बार्डर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद उन्नाव/थाना अजगैन

• 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

• लूटी गई चैन का टुकड़ा

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 15.10.2025 को थाना अजगैन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करोवन के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त लकी को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटी गई चैन का टुकड़ा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना अजगैन पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अजगैन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—लकी निवासी बक्तू खेडा थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

<u>बरामदगी</u>

1—लूटी गई चैन का टुकड़ा।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मुरादनगर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **स्नैचिंग की 02 पीली धातु की चैन**
- **चोरी के 48 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 14.10.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईस्टर्न पेरिफेरल अंडरपास के नीचे चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नौशाद उर्फ बादशाह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से स्नैचिंग की 02 पीली धातु की चैन, चोरी के 48 हजार रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नौशाद उर्फ बादशाह निवासी फरूखनगर थाना टीलामोड़, गाजियाबाद।

बरामदगी

1—स्नैचिंग की 02 पीली धातु की चैन।

2—चोरी के 48 हजार रूपये नगद।

3—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बरेली/थाना आंवला

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 15.10.2025 को थाना आंवला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिसौली रोड पर चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1—आकाश 2—मुकेश 3—महेन्द्र 4—कमरूद्दीन 5—असलम 6—सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त असलम के विरूद्ध जनपद बरेली, खीरी के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना आवंला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कीर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश निवासी ग्राम लच्छिमपुर थाना आंवला जनपद बरेली।

2—मुकेश निवासी ग्राम हरदासपुर थाना सिरौली जनपद बरेली।

3—महेन्द्र निवासी ग्राम लच्छिमपुर थाना आंवला जनपद बरेली।

4—कमरूद्दीन निवासी ग्राम हरदासपुर थाना सिरौली जनपद बरेली।

5—असलम निवासी रूद्रपुर थाना खीरी जनपद खीरी।

6—सलमान निवासी रूद्रपुर थाना खीरी जनपद खीरी।

बरामदगी

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल ।

2—02 मोबाइल फोन।

जनपद मुरादाबाद/थाना मूँढापाण्डे

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 लाख 70 हजार रूपये नगद

• चोरी/धोखाधड़ी के कॉपर (असली/नकली) वायर आदि बरामद

दिनांक 15.10.2025 को थाना मूँढापाण्डे पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1—नाजिर 2—जाने आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 लाख 70 हजार रूपये नगद, चोरी/धोखाधड़ी के कॉपर (असली/नकली) वायर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो निर्माणाधीन भवन से कॉपर का हैबी वायर चोरी कर उसमें से कॉपर को निकाल कर, केवल में सीमेन्ट व रेत आदि भर कर धोखाधड़ी की घटना की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना मूँढापाण्डे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नाजिर निवासी ग्राम दौलरा थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

2—जाने आलम निवासी ग्राम दौलरा थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—01 लाख 70 हजार रूपये नगद।

2—चोरी/धोखाधड़ी के कॉपर (असली/नकली) वायर आदि।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना कुरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 07–07 वर्ष के कारावास की सजा व 06–06 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 394/411 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–आशीष उर्फ भाईजी 2–शैलेन्द्र कुमार को 07–07 वर्ष के कारावास व 06–06 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————